

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक:आर-10/जे0डी0/लखनऊ-13(गा0बाद)/ 216

दिनांक: अगस्त 1, 2015.

सेवा में,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स जेविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या: 146, 199 ग्राम मोरटा जिला गाजियाबाद में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु कम्पाउण्डिंग हेतु संशोधित मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी-2015/12758/जीजेडबी/गाजियाबाद/791/जे0डी0
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रशंगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु कम्पाउण्डिंग हेतु संशोधित मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

प्रशंगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या पत्र संख्या:आर-7/एफएसके/2013 दिनांक: 14-08-2015 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ द्वारा कर अपनी आख्या दिनांक: 15-08-2015 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- प्रशंगत भवन को इस कार्यालय के संमाक पत्र संख्या: आर-10/जे0डी0/जीजेडबी-13(गा0बाद)/24 दिनांक: 23-01-2013 के द्वारा प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। तथा वर्तमान में स्वामी द्वारा एफ0ए0आर0 कर किये जाने के उपरान्त भवन में आंशिक संशोधन के उपरान्त भवन के टावरों का संशोधित एरिया विवरण निम्नवत है:-

1-कुल प्लॉट एरिया-22,274.00 वर्ग मी0 है।

2-भूतल कवर्ड एरिया-4620.87 वर्ग मी0 है।

3-लोअर/अपर बेसमेन्ट (निर्मित व प्रस्तावित) कवर्ड एरिया-13,537.08 वर्ग मी0 प्रत्येक।

क्र0स0	नाम ब्लॉक एवं तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयरकेस की संख्या एवं चौड़ाई मी0।	ऊँचाई मी0।
01	ब्लॉक ए0-2, 02बेस0, भूतल एवं 14 तल	2428.02	34,368.74	06 अदद 01.50 प्रत्येक। 03 अदद 01.25 प्रत्येक।	44.98
02	ब्लॉक बी0-2, 02बेस0, भूतल एवं 14 तल	1452.35	21505.25	03 अदद 01.50 प्रत्येक।	44.98
03	ब्लॉक सी0-2, 02बेस0, भूतल एवं 14 तल	740.50	5402.62 एवं 6831.80	03 अदद 01.50 प्रत्येक।	44.98
04	नर्सरी स्कूल, भूतल एवं 02 तल	170.46	400.00	01 अदद 01.50 मी0।	09.45
05	कॉन्वीनियन्ट शॉप	282.58	ब्लॉक ए-के भूतल पर	-	-
06	कम्प्यूनिटी, भूतल एवं प्रथम तल	109.62	219.24	01 अदद 02.00 मी0।	06.80

भवन का अधिभोग विवरण:-प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। बेसमेन्ट का प्रयोग पार्किंग हेतु किया जाना प्रस्तावित है, बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों हेतु 45 टन भार क्षमता की निमित्त की जानी अनिवार्य होगी।

दांचागत व्यवस्था:-



1- पहुँच मार्ग- मुख्यद्वार के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24.00 मी० मानकों के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमवली के मानकों के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार-प्ररनगत भवन में प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 12.00 मी० मानचित्रों में प्रस्तावित है।

3-सैटबेक- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है-

ए०-अग्रभाग-13.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-13.00 मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-13.50 मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-13.15 मी० प्रस्तावित है।

कम्युनिटी- ए०-अग्रभाग 13.00 मी०, बी०-पृष्ठ भाग 04.00 मी०, सी०-पार्श्व भाग प्रथम-03.00 मी०, डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-03.00 मी०।

नर्सरी स्कूल- ए०-अग्रभाग 13.00 मी०, बी०-पृष्ठ भाग 03.00 मी०, सी०-पार्श्व भाग प्रथम-06.00 मी०, डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-03.00 मी०।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के प्रस्तर 3.4.5, 3.4.2, एवं 3.4.3 के अनुसार है। जिनको सदैव हाई सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरबुल हाई सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य होगा।

3- निकास मार्ग- प्रस्तावित भवन के सभी टावरों में उपरोक्त तात्कालानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है। तथा जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जाये।

4- रिफ्यूज एरिया- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।

(क) अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- प्ररनगत भवन में एन०बी०सी० 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना बाँच्छनीय है।

1-भूमिगत- प्ररनगत भवन में अग्निशमन 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार बाँच्छनीय है।

2-पम्प- भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम क्षमता का एक अदद मैन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद 180 एलपीएम क्षमता का जोकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने बाँच्छनीय है।

3-टैरिस टैंक- प्ररनगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली०, स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार बाँच्छनीय है।

4-होजरील- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक/टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैम्पिंग वाल्व, मस होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन०बी०सी० मानकों के अनुसार बाँच्छनीय है।

5-वेटराइजर- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर याई हाईड्रैण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानकों के अनुसार बाँच्छनीय है।

6-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम- प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार बाँच्छनीय है।

7-मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम- समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार बाँच्छनीय है।

8-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानकों के अनुरूप है।

9-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन- प्ररनगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन०बी०सी० मानक के अनुसार बाँच्छनीय है।

10-एग्जिट साईनेज एवं पी०ए० सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एवं पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार बाँच्छनीय है।

(ख) नर्सरी स्कूल हेतु अग्निशमन व्यवस्था- प्ररनगत भवन में एन०बी०सी० 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना बाँच्छनीय है।

1-होजरील- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैम्पिंग वाल्व, मस होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन०बी०सी० मानकों के अनुसार बाँच्छनीय है।

2-टैरिस टैंक- प्ररनगत भवन की टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली०, स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार बाँच्छनीय है।

महेश्वर सिंह
निर्माण प्रशासक
18/8

3-टेरिस पम्प: प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

4-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

5-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज की स्थापना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

(ग) कम्प्यूनिटी हेतु अग्निशमन व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वांछनीय है।

1-होजरील:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैपिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वांछनीय है।

2-टेरिस टैंक: प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

3-टेरिस पम्प: प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

4-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

5-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज की स्थापना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं की वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के स्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर हिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वांछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स जेडिन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या: 146, 199 ग्राम मोरटा जिला गाजियाबाद में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु कम्पाउण्डिंग हेतु संशोधित मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।


मुख्य निदेशक, अग्निशमन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिलिपि: 1- उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- मैसर्स जेडिन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या: 146, 199 ग्राम मोरटा जिला गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।